

**कार्यालय-निदेशक, बागवानी मिशन एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड,
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून**

**सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापना हेतु मूल उत्पादक कम्पनियों
के पंजीकरण हेतु सूचना**

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में संचालित की जा रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के *Per Drop More Crop* घटक के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (झिप, स्प्रिंकलर, पोर्टबल स्प्रिंकलर, लार्ज वाल्यूम स्प्रिंकलर आदि) घटक में प्रदेश के किसानों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न औद्यानिक एवं कृषि फसलों की सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिये मूल उत्पादक कम्पनियों/फर्मों के पंजीकरण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमन्त्रित किये जा रहे हैं। निर्धारित प्रारूप/स्पेशिफिकेशन/शर्ट आदि निदेशक, बागवानी मिशन एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड के राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून स्थित कार्यालय से नकद रु. 500.00 भुगतान से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप/स्पेशिफिकेशन/शर्ट राज्य बागवानी मिशन की वेबसाइट www.shm.uk.gov.in तथा उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट www.tenders.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड से प्राप्त आवेदन को जमा करने पर रु. 500.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट जो नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 30.01.2017 है। आवेदन की अन्य शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. कम्पनी के उत्पादों का बी0आई0एस0 द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। साथ ही कम्पनी को अपनी फैक्ट्री में समस्त मुख्य उपकरण स्वयं अथवा विशेष निर्माता के सहयोग से निर्माण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. निर्माता कम्पनियों/फर्मों को निर्माण व आपूर्ति के लिये प्रस्तावित उपकरणों के तकनीकी विवरण को घोषित करना होगा, जिनका विभागीय तकनीकी समिति द्वारा वास्तविक सत्यापन व जॉच के उपरान्त प्रस्तुत आख्या के आधार पर पंजीकरण किया जायेगा।
3. टपक सिंचाई के मामले में कम्पनी कम से कम लेटरल तथा उत्सर्जक डिवाइस की निर्माता होनी चाहिये जो BIS मानकों को पूरा करते हों, फव्वारा सिंचाई के मामले में कम्पनी BIS मानकों के अनुरूप PVC Pipe/HDPE/नोजल और अन्य जरूरी उपकरणों के निर्माता होने चाहिये।
4. कम्पनी को समस्त उपकरणों की गुणवत्ता की गारंटी देनी होगी, जिनका निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया हो लेकिन इनकी पूर्ति निर्माता द्वारा की जानी है।
5. जो कम्पनी विदेशी उपकरणों की आपूर्ति करना चाहती है, उन्हें कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त स्वीकृति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. कम्पनी का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रु. 10.00 करोड़ होना आवश्यक है।
7. सूक्ष्म सिंचाई की विभिन्न प्रणालियों के दर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर देनी होगी। साथ ही अतिरिक्त सूचना अलग सीट पर संलग्न करनी होगी।
8. विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के साथ रु. 500.00 की विभागीय रसीद/डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
9. कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित राजसहायता के अनुरूप लघु एवं सीमान्त उद्यानपतियों/कृषकों को 60 प्रतिशत एवं अन्य उद्यानपतियों/कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। शेष अंश कम्पनी द्वारा उद्यानपतियों/कृषकों से सीधा प्राप्त किया जायेगा। कुल भुगतान लाभार्थी द्वारा कम्पनी को किया जायेगा। लाभार्थीयों द्वारा किये जाने वाले भुगतान की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
10. सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रणाली की स्थापना का सत्यापन इस हेतु गठित सक्षम समिति/प्राधिकारी से होने के बाद ही अनुदान का भुगतान करेंगे।

11. कम्पनी, जो पंजीकृत होगी, को किसान के प्रक्षेत्र पर को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के बाद कम से कम तीन वर्ष तक मुफ्त सेवा (Service) प्रदान करनी होगी। साथ ही जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी तथा सस्य विज्ञान सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिये सेवा केन्द्र (Service Centre) स्थापित करने होंगे।
12. पंजीकरण के उपरान्त जिन फर्मों के कार्यालय उत्तराखण्ड में अवस्थित नहीं हैं, उन्हें एक माह की सीमा के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में कार्यालय स्थापित कर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी के साथ-साथ समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार को देनी होगी।
13. प्रत्येक फर्म द्वारा विकासखण्डवार एक गांव का चयन कर उसमें प्रदर्शन प्रक्षेत्र स्थापित करना होगा एवं इन प्रक्षेत्रों पर ही चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
14. प्रत्येक फर्म द्वारा हर 03 माह में अपने कार्मिकों द्वारा स्थापित इकाईयों पर भ्रमण सुनिश्चित कराना होगा एवं इसकी सूचना सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी के साथ-साथ इस कार्यालय को भी प्रेषित करनी होगी।
15. प्रत्येक फर्म द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी मैनुअल की 50-50 प्रतियां इस कार्यालय के साथ-साथ समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
16. कम्पनी को उत्तराखण्ड में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के रख-रखाव हेतु तकनीकी नेटवर्क रखना होगा तथा कृषकों को प्रणाली के संचालन एवं रख-रखाव हेतु प्रशिक्षण भी देना होगा।
17. पंजीकरण की वैधता 31 मार्च 2020 तक मान्य होगी।
18. पंजीकरण हेतु आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 30.01.2017 होगी।
19. आवेदन नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून कार्यालय में जमा करना होगा।
20. आवेदन के साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के फोटोग्राफ/साहित्य की हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी संलग्न करनी होगी।
21. निर्धारित शर्तों के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण विभागीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा विभागीय समिति की संस्तुति पर कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण होने के बाद सम्बन्धित कम्पनियों/फर्मों को सूचना दी जायेगी।


 निदेशक, बागवानी मिशन एवं
 नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन,
 उत्तराखण्ड



नोडल अधिकारी

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (NMMI)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

पत्रांक 1966

/PMKSY/पंजीकरण/2016-17

दिनांक: देहरादून: जनवरी 3 2017

प्रारूप-1

टैक्नीकल बिड

(आवेदन सीलबन्द लिफाफे में ही बन्द कर किया जाय)

आवेदन फार्म सं०

आवेदन शुल्क:— Rs. 500/-

1. फर्म का नाम व पता:

2. आवेदन हेतु जमा की की धनराशि का विवरण:

विभागीय कैश रसीद/ड्राफ्ट संख्या :—

दिनांक :—

धनराशि :—

3. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के घटकों हेतु बी0आई0एस0 लाइसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. फैक्ट्री में समस्त मुख्य उपकरण स्वयं अथवा विषेश निर्माता के सहयोग से निर्माण करने का प्रमाण।
5. आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
6. कम्पनी द्वारा स्वयं निर्माण न किये गये, किन्तु आपूर्ति किये जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता आश्वासन गारंटी का प्रमाण।
7. कम्पनी द्वारा विदेशी उपकरणों की आपूर्ति किये जाने हेतु एन0सी0पी0ए0च0 की सत्यापन एवं सहमति के उपरान्त कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त स्वीकृति का प्रमाण।
7. वाणिज्यकर/वैट पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
8. उद्योग विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
9. एक्साईज विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
10. आयकर विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
11. फैक्ट्री लाइसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
12. गत 03 वर्षों के टर्न ओवर के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
13. उत्तराखण्ड में कम्पनी के नेटवर्क का विवरण।
14. फर्म के पैन एवं टिन नम्बर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
15. अन्य शर्त संलग्न हैं।

मेरे द्वारा आवेदन की शर्तें भली-भौति पढ़/समझ ली गयी हैं तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया सहमत हूँ।

आवेदनकर्ता/कम्पनी के अधिकृत आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता/कम्पनी के अधिकृत आवेदनकर्ता का नाम

कम्पनी का नाम/पता—

फोन/फैक्स नं०—

सील—


आवेदन हमारे सम्मुख खोले गये

समिति के सदस्यों का नाम/हस्ताक्षर

1.

2.

3.

**किसानों के प्रक्षेत्रों पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की
विभिन्न दूरी एवं क्षेत्रफल के आधार पर स्थापना हेतु प्रस्तावित दरों का विवरण**

क्र. सं.	मद का नाम	क्षेत्रफल					
		0.2 है0	0.4 है0	0.6 है0	0.8 है0	1.0 है0	2.0 है0
अ.	टपक सिंचाई						
	अधिक दूरी की फसलें						
1	8 मीटर एवं अधिक						
2	4 मीटर से < 8 मीटर						
3	2 मीटर से < 4 मीटर						
	कम दूरी की फसलों हेतु						
4	1.2 मीटर से < 2 मीटर						
5	< 1.2 मीटर						
ब	फौल्वारा सिंचाई						
1	माईक्रो स्प्रिंकलर						
2	मिनी स्प्रिंकलर						
3	पोर्टेबल स्प्रिंकलर						
4	रैनगन						

नोट:- उपरोक्त सारणी में उल्लिखित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसीफिकेशन ही मान्य होंगे। प्रणाली स्थापना पर राज सहायता का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई (PMKSY) योजना के Per Drop More Crop घटक के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर ही क्षेत्रफल व दूरी के अनुसार Prorata के आधार पर आंगणन कर राज सहायता का भुगतान किया जायेगा।

कम्पनी का नाम

.....
कम्पनी द्वारा अधीकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

.....
कम्पनी द्वारा अधीकृत प्राधिकारी का नाम

.....
मोहर (यदि है तो)